न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजु मीणा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 69/2019

1. रामदेव पुत्र श्री चन्द्रा जाति गुर्जर निवासी सरगांव तहसील भिनाय जिला अजमेर — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर — अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित पक्षकारः– श्री महावीर गुर्जर (अधिवक्ता प्रार्थी)
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.09.2020

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा सरगांव पटवार क्षेत्र सरगांव, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र छछून्दरा तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. नया 324 व पुराना 316 में दर्ज खसरा नं. 1136 रकबा 0.78 हैं0 किस्म बारानी–2 व खाता सं. नया 323 पुराना 315 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1113 रकबा 0.22, 1114 रकबा 0.17, 1115 रकबा 0.07, 1116 रकबा 0.21, 1119 रकबा 0.40, 1123/1335 रकबा 0.02, 417 रकबा 0.16, 428 रकबा 0.11, 481 रकबा 0.07, 99 रकबा 0.21 किता 10 रकबा 1.64 हैं0, खाता सं. नया 322 पुराना 314 में दर्ज आराजी खसरा नं. 859 रकबा 0.14, 860 रकबा 0.20, 868 रकबा 0.30, 871 रकबा 0.30, 889 रकबा 0.07 किता 5 रकबा 1.01, खाता सं. नया 321 पुराना 313 में दर्ज आराजी खसरा नं. 679 रकबा 0.44, 708 रकबा 0.16, 748 रकबा 0.50 किता 3 रकबा 1.10 हैं0, खाता सं. नया 74 पुराना 73 में दर्ज खसरा नं. 102 रकबा 0.03, 878 रकबा 0.15, 879 रकबा 0.12 किता 3 रकबा 0.30, खाता सं. नया 122 पुराना 888 में दर्ज आराजी खसरा नं. 0.03 हैं0 भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामदेव पुत्र चन्दा जाति गुर्जर के स्थान पर रामदेव पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर अंकित है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की वल्दियत सही दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज कर तहसीलदार भिनाय को तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात यथा जवाब पैरोकार सरकार, भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का सरगांव द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत छछून्दरा द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, ग्राम सरगांव स्थित अन्य खातेदारी भूमि की राजस्व जमाबंदी खाता सं. 320, 319, 207 आदि का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा सरगांव की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता सं. नया 324 व पुराना 316 में दर्ज खसरा नं. 1136 रकबा 0.78 हैं0 किस्म बारानी–2 व खाता सं. नया 323 पुराना 315 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1113 रकबा 0.22, 1114 रकबा 0.17, 1115 रकबा 0.07, 1116 रकबा 0.21, 1119 रकबा 0.40, 1123/1335 रकबा 0.02, 417 रकबा 0.16, 428 रकबा 0.11, 481 रकबा 0.07, 99

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.10.14 11:25:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 0.21 किता 10 रकबा 1.64 हैं0, खाता सं. नया 322 पुराना 314 में दर्ज आराजी खसरा नं. 859 रकबा 0.14, 860 रकबा 0.20, 868 रकबा 0.30, 871 रकबा 0.30, 889 रकबा 0.07 किता 5 रकबा 1.01, खाता सं. नया 321 पुराना 313 में दर्ज आराजी खसरा नं. 679 रकबा 0.44, 708 रकबा 0.16, 748 रकबा 0.50 किता 3 रकबा 1.10 हैं0, खाता सं. नया 74 पुराना 73 में दर्ज खसरा नं. 102 रकबा 0.03, 878 रकबा 0.15, 879 रकबा 0.12 किता 3 रकबा 0.30, खाता सं. नया 122 पुराना 888 में दर्ज आराजी खसरा नं. 0.03 हैं0 भूमि में सहखातेदारी में दर्ज खातेदार रामदेव पुत्र हरचन्दा कौम गुर्जर के स्थान पर रामदेव पुत्र चन्दा कौम गुर्जर दुरूस्त किए जाने आदेश पारित किए जाते है एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.09.2020 को सुनाया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.10.14 11:25:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner